

Notes on Standard Form of Agreement.
The Agreement should incorporate any corrections of modifications to the Bid resulting from corrections of errors (Instructions to Bidders, Clause 26)

Agreement No. 11.....SBD/2019-20.....

Ag. Amount - 6734670.00
Sub. Ag. Amount - 1205031.00

Total - 7939701.00

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division, Darbhanga-2
R.W.D. Works Division
Darbhanga-2

Supplementary Bill of Quantity (BOQ)

Name of Road:- " Dahsil Paira To Mohanpur Fakir Takiya Domu Paswan Ke Ghar Tak"

Block:-Singhwara

District:-Darbhanga

Length of Road:-1.02 Km

Sr. No.	Description of Items	Unit	Qty.	Rate (Rs)	Amount (Rs)
1	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m. transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 301.5 of MORD.				
	For 100m Lead @ 70%	Cum	1102.15	142.39	156935.00
	For 1000m Lead @ 30%	Cum	472.35	187.23	88438.00
2	Granular Sub-Base with Well Graded Material (Table:- 400.1)- Construction of granular sub-base by providing well graded material(Crushed Stone Aggregate and Sand). spreading in uniform layers with tractor mounted grader arrangement on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with three wheel 80-100KN static roller capacity to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401. Grading -I Material.	Cum	233.48	2805.34	654991.00
3	WBM Grading-3:- Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density Grading 3 as per Technical Specification Clause 405 of MORD (A) By Manual Means.	Cum	87.469	3490.04	305270.00
Total Amount=				₹ 12,05,634.00	

1 item SI. No = ① To ③ only.

Total Amount= ₹ 12,05,634.00

निवेदन पत्र - 11/10/2021, 10/10/2021 - 10-11/2021 -
 - 395 चक्र 4041 दिनांक:- 21.01.2022 को जारी - प्रत्यक्ष निवेदन -
 सिलेबल नं. 79-33419 का 414-ई/343 को निवेदन निवेदन -
 सिलेबल नं. 79-33419 का 414-ई/343 को निवेदन निवेदन -
 29.10.2021 यदु ई/

Executive Engineer
 RWD(W) Div. Darbhanga-2

Supplementary B.O.Q approved for ₹ 12,05,634.00
 (Rupees Twelve Lacs Four Thousand Six Hundred Thirty Four only)

Superintending Engineer
 RWD, Works Circle, Darbhanga

Executive Engineer
 R.W.D. Works Division
 Darbhanga-2

-अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।

पत्रांक :- 345 अनु०

दिनांक :- 15-02-2022

प्रेषक,

ई० विन्ध्यवासिनी कुमार
अधीक्षण अभियन्ता,

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-2

विषय:-

राज्य योजना (नावाडी) अंतर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के अधीन कटका पंचायत अंतर्गत दहसिल पैरा से मोहनपुर फकीर तकिया डोमू पासवान के घर तक पथ निर्माण कार्य का पूरक परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:-

मुख्य अभियन्ता-3, ग्रा०का०वि० पटना के पत्रांक-395 अनु०, दिनांक-21.01.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में आपके पत्रांक-156 अनु०, दिनांक-08.02.2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया निम्नलिखित पथ का पूरक परिमाण विपत्र अनुमोदित कर मूल प्रति इस शर्त के साथ संलग्न की जाती है कि:-

1. एकरारनामा में पूर्व के दर अधिक/कम के आधार पर ही दर का भुगतान करेंगे।
2. मुख्य अभियन्ता-3, ग्रा०का०वि० पटना के पत्रांक-395 अनु०, दिनांक-21.01.2022 में निहित निदेशों का अनुपालन अक्षरशः अनिवार्य होगा।

क्र०	पथ का नाम	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (लाख में)	पुनरीक्षित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि
1	सिंहवाड़ा प्रखंड के अधीन कटका पंचायत अंतर्गत दहसिल पैरा से मोहनपुर फकीर तकिया डोमू पासवान के घर तक पथ निर्माण कार्य	79.33	12,05,634.00

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Darbhanga-2

मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-10-112/2021 39585

पटना दिनांक:- 21-1-22

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:- शीर्ष राज्य योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, दरभंगा-2 के अधीन 01 अदद पथ के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-67 अनु0, दिनांक-07.01.2022, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार का पत्रांक-4442 (अनु0) दिनांक-29.10.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, दरभंगा-2 के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के मद वृद्धि का अनुमोदन विभागीय निविदा समिति से प्राप्त है, जिसकी विवरणी निम्न है:-

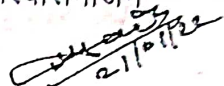
Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	A.A Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) एकरारित दर पर
1.	Darbhanga-2	सिंहवाड़ा प्रखंड के कटका पंचायत अंतर्गत दहसिल पैरा से मोहनपुर फकीर तकिया डोमु पासवान के घर तक पथ निर्माण कार्य	1.02	5514/04.12.2018	68.109	79.33

- निर्माण कार्य राज्य योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जांच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
- अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
- अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, दरभंगा ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसकी अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Darbhanga-2

9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, दरभंगा को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोफ निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- अनु0- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन


21/10/12

मुख्य अभियंता-3, पटना